आज दिनांक 16.11.2010 को सूचना एवं रोजगार का अधिकार अभियान की तरफ से श्रीमती अरूणा रॉय, श्री निखिल डे आदि ने भाग लिया। राज्य सरकार की ओर से मुख्य सचिव, अति0 मुख्य सचिव, वित्त, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, प्रमुख शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन एवं आयुक्त, नरेगा ने भाग लिया। सौहार्द पूर्ण वातावरण में चर्चा उपरान्त निम्न बिन्दुओं पर आम सहमति बनी :–

1. भारत सरकार द्वारा नरेगा अन्तर्गत निर्धारित मजदूरी दर को सूचकांक के आधार पर निर्धारित किये जाने के सैद्धान्तिक निर्णय उपरान्त राज्य मे लागू न्यूनतम मजदूरी को उपभोक्ता मूल्य सुचकांक से जोडे जाने के संबंध में नियमानुसार निर्णय लिया जायेगा।
2. नरेगा के अन्तर्गत भुगतान में विलम्ब होने पर मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 के नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
3. टोंक जिले के गुदलिया गांव के नरेगा श्रमिकों को 1 रूपयें के भुगतान के प्रकरण में जिला कलक्टर, टोंक द्वारा 30 नवम्बर तक आवश्यक कार्यवाही कर दी जायेगी।
4. नरेगा श्रमिकों के यूनियन के गठन के संबध में लिए गये निर्णय की अपील श्रम अधिकरण को प्रस्तुत किये जाने पर अधिकरण द्वारा उचित निर्णय पारित किया जायेगा।
5. नरेगा के अन्तर्गत नाप के आधार पर मजदूरी के संबंध में दिनांक 15.11.2010 को विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये जा चुके हैं तथा इस संबंध में आवश्यक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जायेगा। आवश्यकता होने पर इस व्यवस्था को सुदृढ़ कर दिया जायेगा।

उपरोक्त सहमति के आधार पर सूचना एवं रोजगार का अधिकार अभियान ने अपना धरना तुरन्त प्रभाव से समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

सूचना एवं रोजगार अभियान के प्रतिनिधि

1. Nikhil Dey
2. (भंवरसिंह चन्दाणा) 16/11
3. Renuka Pamecha

राज्य सरकार के प्रतिनिधि

1. [signature] 16/11/10 (तन्मय कुमार) आयुक्त, नरेगा
2. [signature] (सत्यप्रत शर्मा) Addl. L.C.